



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

क्र. 3050 / SEIAA/2022

दिनांक: 10-2-22

प्रति,

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि.

वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्पोरेट प्रमुख, अहुरा सेंटर,

प्रथम तल, 'ए' विंग, महाकाली केवस रोड,

अंधेरी (ई), जिला-मुंबई (महाराष्ट्र)-400093(म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्र. 8599/2021 : चूना पत्थर खदान, एरिया 68.91 हेक्टेयर संशोधित एरिया 60.671 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.27 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम बुदगवाना, बागवर व घोरहाटोला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

संदर्भ: कार्यालय पत्र क्र. 2742 दिनांक 29.12.2021 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें कि उक्त प्रकरण को म.प्र. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 699वीं बैठक दिनांक 29.12.2021 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल से अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी अभिप्रमाणित कराकर 07 दिवस में SEIAA कार्यालय को प्रस्तुत करें। तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु SEIAA समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकें।

(आलोक नायक)

प्रभारी अधिकारी